बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰प्रा॰(III) यो॰ –47/2016– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – बक्सर जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–821, दिनांक 17.03.2016 के द्वारा राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल रू॰ 841.096 करोड़ (आठ सौ एकतालीस करोड़ नौ लाख साठ हजार रूपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत बक्सर जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की स्वीकृति तथा भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–153, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा उपलब्ध तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलित राशि के आधार पर संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृति राशि का वहन, योजना बजट के "मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 104– बहुशिल्प, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0108– पोलिटेकनिक भवन (निश्चय)" के अधीन मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड–पी 4202021040108 है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, बक्सर को प्रदान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/ विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर होगें।

6. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, बक्सर से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. संस्थान की स्थापना, समाहर्त्ता, बक्सर के पत्रांक–03–1055/रा॰, दिनांक 16.05.2016 द्वारा संसूचित बक्सर जिलान्तर्गत अंचल–बक्सर के मौजा–इटाढ़ी, थाना सं॰–428, खाता न॰–493, खेसरा न॰–168 कुल रकबा 5 (पाँच) एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण परती भूमि पर, की जायेगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96वि(2), दिनांक 03.01.2008 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 16.02.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–09 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो० –47/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो० –47/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो० –47/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो० –47/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो० –47/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III) यो० –47/2016– 2313 /पटना, दिनांक– 2/9/016

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय आप्त सचिव/संयुक्त ~~निदेशक (वि०)~~/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2.09.16
सरकार के उप सचिव

2/9/16